

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 129/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

रेशमी उर्फ रामेश्वरी पत्नि सहीराम जाति जाट निवासी न्योलखी तहसील पल्लू जिला  
हनुमानगढ़।

-वादीया

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री अनिल सिहाग वकील-वादीया

राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 1

निर्णय दिनांक- 25.6.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष वकील श्री अनिल सिहाग व राजपेरोकार की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि न्योलखी बारानी के खाता संख्या 219/181 के खसरा नम्बर 964/255 की 7.5890 हैक्टेयर कृषि भूमि के ऑनलाईन दर्ज गलत नक्शा मुताबिक रिपोर्ट दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.6.2024  
...को जारी की गई।

(संजय कुमार)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
रावतसर अधिकारी  
हनुमानगढ़

